उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-1/2026/191/सैंतालीस-का-1-2026-13(5)/1998
लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2026

दिनांक 11 मार्च, 2026 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. मीडिया सलाहकार, मा० मुख्यमंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-5 खण्ड-क में दिनांक 11 मार्च, 2026 की तिथि में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-1/2026/191/सैंतालीस-का-1-2026-13(5)/1998
लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-21 का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात:-

	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
लगाई हुई पूंजियां	21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। **उदाहरण** कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को कोई सिनेमा गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।	21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो। (2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। (3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की रकम स्टॉक, शेयर अथवा अन्य लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) में विनिहित करता है तो ऐसी लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) की सूचना समुचित प्राधिकारी को दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-24 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-24 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा अर्थात:-

	स्तम्भ-1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
चल, अचल तथा बहुमूल्य संपत्ति	(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने **एक माह** के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय-विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। **(3)** प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर **पांच वर्ष** की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रुप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।	24(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने **दो माह** के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय-विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। **(3)** प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर **एक वर्ष** की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रुप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 1/2026/191/47-Ka-1-2026-13(5)/1998, dated March 11, 2026

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
KARMIK ANUBHAG-1
NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 1/2026/191/47-Ka-1-2026-13(5)/1998
Dated : Lucknow, March 11, 2026

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement

1- (1)These Rules may be called "The Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2026"

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 21

2- In the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule-21 set out in column-1 below, the rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

	Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
Investment	21(1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties. (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in subrule(1) the decision of the Government thereon shall be final. ***Illustration*** *A District Judge shall not permit his wife or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted and if he is transferred to a district where a member of his family has already made such an investment, he shall immediately inform his superior authority.*	21(1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties. (2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule(1) the decision of the Government thereon shall be final. (3) If a Government servant invests an amount exceeding six months' basic pay in stocks, shares or other investments in a calendar year, such investment shall be reported to the appropriate authority.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Amendment Of rule 24

3- In the said rules, in existing rule-24 for existing sub-rule(2) and sub-rule(3) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Movable, Immovable and valuable property

Column-1 **Existing sub-rules**	**Column-2** **Sub-rules as hereby substituted**
24(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority. Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority. (3) At the time of first appointment and there after at intervals of five years, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.	24(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for two months whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority. Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority. (3) At the time of first appointment and there after each year, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.

By Order,

M.Devaraj
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।